	अमिलेख उपस्थापित। अवैद्य/संदिग्द्य जमाबन्दीदार जीरोफ					
	रविद्या चिता तथा रविद्या को खास नोटिस निर्गत किया					
	गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार के जिल्ला					
	जिल्ली सुनवाई के दौरान विषयगत भूमि ग्राम पिडियापि है।					
	1919 1 = 10 83/13 2491 17470 at X on or offer					
	प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान की अमि जिल विप्रम					
1	है कि उनके पास लगान रस्रीद के अतिरिक्त					
	34-4 कोई दस्तारोग प्रत्य नहीं किया है। राजस्व					
١	उप निरीक्षक / अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख					
I	में संलग्न है, अवलोकन किया गया।					
	राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया हे कि					
l	पंजी ii में संदिग्ध / अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार					
	रवेसरा संख्या दर्ज रही है। राठउ०नि० एवं अंवनि० ने					
I	जमाबन्दी रद् करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि					
١	unterm corsul fair decien consul					
+	ोग्न जिरियापिद्ध के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी					
	संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :					
1	मीजा थाना खाता संख्या खेसरा संख्या रकबा					
-	संख्या					
ŧ						

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
14/8/21/20	53	83/13		1.74

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा० दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबन्दी का नियमितीकरण अस्वीकृत किया जाता

लेखापित

अंचल अधिकारी,

अंचला अधिकारी, बोलबा क्रा/१।